भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 67

25 नवंबर, 2024 को उत्तर दिये जाने के लिए

शहरी बुनियादी ढांचे और विकास नीतियों की स्थिति

67 श्री बी. पार्थसारधी रेड्डी:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन की प्रगति का मूल्यांकन कर रही है कि सभी चयनित शहर योजना के अनुसार अपने विकास लक्ष्यों को पूरा करें, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या प्रधान मंत्री आवास योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए किफायती आवास के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) : स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) के तहत परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाने के लिए मंत्रालय के पास एक बहु-स्तरीय समीक्षा संरचना है। राज्य स्तर पर, परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एचपीएससी) द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर, कार्यान्वयन की निगरानी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के सचिव की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति द्वारा की जाती है। इसके अलावा, विशेष प्रयोजन तंत्रों (एसपीवी) के बोर्डों में शामिल आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के नामित निदेशक नियमित आधार पर संबंधित शहरों में प्रगति की निगरानी करते हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय नियमित रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसों, समीक्षा बैठकों, क्षेत्र के दौरों, क्षेत्रीय कार्यशालाओं, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के सम्मेलन आदि के माध्यम से राज्यों/स्मार्ट शहरों के साथ विचार-विमर्श करता है।

100 स्मार्ट सिटीज द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 1,64,669 करोड़ रुपए की लागत की 8066 परियोजनाओं में कार्य आदेश जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से 1,47,366 करोड़ रुपए की लागत की 7,352 परियोजनाएं (यानी कुल परियोजनाओं का 91%) पूरी हो चुकी हैं।

(ख): 'भूमि' और 'कालोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, आवास से संबंधित योजनाएं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों(यूटी) द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय देश भर के शहरी क्षेत्रों में पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए 25 जून 2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है। पीएमएवाई-यू के तहत, 11.11.2024 तक 1.12 करोड़ आवासों की मान्य मांग के मुकाबले, मंत्रालय द्वारा 1.18 करोड़ आवासों (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 98.76 लाख आवासों सहित) को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें से 1.14 करोड़ आवास निर्माणाधीन हैं और 88.02 लाख आवास पूरे हो चुके हैं/लाभार्थियों के सुपुर्द किए जा चुके हैं। मंत्रालय शेष आवासों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें करता है।
